24 Sep Moot Court Competition held at ICFAI University for Law Students



इक्फाई विवि में विधि छात्रों के लिए मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित



रांची

शनिवार. 25 सितंबर 2021

web: rashtriyasagar.com

12

कानून के छात्रों को सैद्धांतिक कानूनी शिक्षा को वाद-विवाद अभ्यास में बदलने का अवसर मिलता है। न्यायाधीशों के पैनल ने याचिका और प्रतिवादी दोनों टीमों की दलीलें सुनीं और सर्वोच्च न्यायालय के वैधानिक प्रावधानों और संबंधित मामले के फैसलों पर शोध करने के लिए टीम के सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के प्रयासों की भी सराहना की ताकि इसके कानून के छात्रों को पेशेवर अधिवक्ताओं के रूप में तैयार किया जा सके ानावेद हैदर, सुश्री अनूपमा और सुश्री सुष्टि की टीम को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया और सुश्री जान्हवी पांडे, सुश्री निशा मिश्रा और सुश्री प्रज्ञा सिंह की टीम उपविजेता रही। सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार सुश्री जान्हवी पांडे को प्रदान किया गया। प्रोफेसर आकृति गुप्ता ने कार्यक्रम की एंकरिंग की और सुश्री मानसी गोयल, बीबीए-एलएलबी 5वें सेमेस्टर की छात्रा कोर्ट की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कोर्ट-मास्टर थीं। कार्यक्रम का संचालन प्रो. अविनाश कुमार भारती एवं प्रो. मोनिका वर्मा ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव प्रो. आलोक कुमार, एचओडी, विधि संकाय, डॉ. भगबत बारिक, सहायक डीन और अन्य संकाय सदस्यों, विश्वविद्यालय के छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

रांची : इक्फाई विश्वविद्यालय,झारखंड में विधि संकाय द्वारा एक अंतर-विश्वविद्यालय मुट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें 14 टीमों, प्रत्येक टीम में 2 लॉ स्टडेंटस शामिल थे। इस मूट कोर्ट प्रतियोगिता का विषय भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह के अपराधों की संवैधानिक वैधता के साथ-साथ बोलने और अभिव्यक्ति की रवतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित था। प्रतियोगिता 22 से 24 सितंबर 2021 तक आयोजित की गई थी. और इसमें प्रारंभिक दौर, सेमीफाइनल और अंतिम दौर शामिल था। प्रशांत कुमार सिंह, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अमित कुमार दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय के सेमीफाइनल निर्णायक जज थे। जबकि राजेश कुमार पांडे, सचिव, झारखंड स्टेट बार काउंसिल, नमन कंबोज, पार्टनर, लिटिगो लॉ चेम्बर्स और विवेक सिंह, वरिष्ठ अधिकारी-काननी, ऑयल इंडिया लिमिटेड के फाइनल निर्णायक जज थे। जजों के पैनल और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रो. ओ.आर.एस. इव×फाई विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति राव ने कहा, जिस समस्या का चयन किया गया वह न केवल कानून के छात्रों के लिए बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए भी दिलचरपी का विषय है, क्योंकि यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह आज की डिजिटल दुनिया में और भी अधिक प्रासंगिक है, जहां संचार बहुत तेजी से और कई बार विकृत होता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। प्रो राव ने कानूनी शिक्षा की प्रक्रिया में मूट कोर्ट की भूमिका पर भी प्रकाश डाला क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके माध्यम से

राष्टीय सागर संवाददाता

इक्फाइ विवि में हुई मूट कोर्ट प्रतियोगिता

रांची. इक्फाइ विवि अंतर्गत विधि संकाय द्वारा एक अंतर विवि मट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गयी. इसमें 14 टीमों ने हिस्सा लिया. प्रत्येक टीम में दो लॉ विद्यार्थियों को शामिल किया गया. इस प्रतियोगिता का विषय भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह के अपराधों की संवैधानिक वैधता के साथ-साथ बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित था. इसमें नावेद हैदर, अनुपमा और सुष्टि की टीम को विजेता घोषित किया गया. जाहवी पांडेय. निशा मिश्रा और प्रज्ञा सिंह की टीम उपविजेता रही. सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार जाह्नवी पांडे को मिला. प्रो आकृति गुप्ता, प्रो अविनाश कुमार भारती, प्रो मोनिका वर्मा ने संचालन किया, मानसी गोयल कोर्ट मास्टर बनीं, निर्णायक मंडली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रशांत कमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास, झारखंड स्टेट बार काउंसिल ē के सचिव राजेश कुमार पांडे. लिटिगो लॉ चेम्बर्स के नमन कंबोज,ऑयल इंडिया ÷ लिमिटेड के विवेक सिंह आदि शामिल थे. विवि के कुलपति ने प्रो ओआरएस 3 राव ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया. धन्यवाद प्रो आलोक कुमार ने किया. ī

Sat, 25 September 2021 प्रभात खबर https://epaper.prabhatkhabar.com/c/63

> For TV, e-paper & news visit: www.live?tv.com D2 Ranchi, Sunday 25 September, 2021

Moot Court Competition held at ICFAI University for Law Students

A n intra-university Moot Court Competition was organised by the Faculty of Law at ICFAI University. Jharkhand. Wherein14 teams, each team consisting of 2 Law Students participated. The themeof the Moot Problem related to Constitutional Validity of the Section 124 A of the Indian Penal Code vis-à-vis the Fundamental Right of Freedom of Speech and Expression. The competition was conducted from 22nd to 24th Sep 2021 and consisted of Preliminary Round, Semi Final and the Final Round Sri Prashant Kumar Das, Senior Advocate, Jharkhand High Court were the judgess for the semi finals whereas judges for finals were Sri Rajesh Kumar Pandey, Secretary, Jharkhand State Bar Council, Sri Naman Kambo, Partner, Litigo Law Chambers and Sri Vivek



Singh, Senior Officer-Legal, Oil India Limited. Welcoming the Panel of Judges and all the participants, Prof. O.R.S. Rao. Vicechancellor of ICFAI University Jharkhand said, "The Moot problem that was selected is of interest to not only Law students but also all the citizens of the country, as it is related to the fundamental right of Freedom of Speech and Expression. It is all the more relevant in today's digital world, wherein communication travels very fast and at times distorted, thereby making the judicial process more complex². Rao also highlighted the role of Moot Court in the process of legal learning as it is an important medium through

which the law students get an opportunity to convert theoretical legal learning into the pleading practice. The panel of judges listened to the arguments from both the participant arguments are

The panel of judges listened to the arguments from both the petition and respondent teams and appreciated the efforts of the team members for researching the statutory provisions and the relevant case decisions of the Supreme Court. They also appreciated the efforts of the ICFAI University for imparting quality legal education so as to groom its law students into professional advocates. The team consisting of

٦

and a set

The team, consisting of Mr. Naved Haider, Ms. Anupama and Ms. Shristi was adjudged as the winner of the Competition and the team consisting of Ms. Janhvi Pandey, Ms. Nisha Mishra and Ms. Pragya Singh was the runner-up. The award for the Best Speaker was conferred to Ms. Janhvi Pandey. Prof Akriti Gunta

Prof Akriti Gupta anchored the event and Ms. Mansi Goel, BBA- LLB student of 5th semester was the Court-Master for regulating the Court Proceedings. Prof. Avinash Kumar Bharti and Prof. Monika Verma coordinated the event. The vote of thanks was proposed by Prof. Alok Kumar, HoD, Faculty of Law, Dr. Bhagabat Barik, Assistant Dean and other faculty members, students of the University participated in the event.

🛛 ४ 💿 खबर मन्त्र

रांची, शनिवार 25.09.2021

इक्फाई विश्वविद्यालय में विधि छात्रों के लिए मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित

रांची। इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड में विधि संकाय द्वारा एक अंतर-विश्वविद्यालय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के तहत देशद्रोह के अपराधों की संवैधानिक वैधता और साथ-साथ बोलने के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार था। प्रतियोगिता 22 से 24 सितंबर 2021 तक आयोजित की गई थी। प्रशांत कुमार सिंह, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अमित कुमार दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, झारखंड उच्च के सेमीफाइनल न्यायालय निर्णायक जज थे।